



Helpline No.:-(+91)-7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrnsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

क्रमांक : प () जरारासंविवि/शैक्ष.-राजभवन/25/

दिनांक :

अत्यावश्यक

स्मरण पत्र

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जरारासंविवि, जयपुर

विषय :-

अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ :-

उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक एफ. 1(ए)(19)आरबी/2020/178 दिनांक 10.01.2025 राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली से माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को सम्बोधित अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 06/07/23/2023-24/ NCW/NI Cell दिनांक 12.11.2024, विश्वविद्यालय का पत्रांक प()जरारासंविवि/शैक्ष.-राजभवन/25/5563-64 दिनांक 28.01.2025 एवं राजभवन का पत्रांक 6256 दिनांक 21.11.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के क्रम में लेख है कि POSH जागरूकता (IC के कामकाज सहित) और साइबर सुरक्षा अपराधों (साइबर स्टॉकिंग, डिजिटल गिरफ्तारी, डीप फेक, सेक्सटॉर्शन आदि सहित) पर एक दिवसीय कार्यक्रम माह जनवरी-2025 में आयोजित कराने एवं POSH पर आन्तरिक समितियों के गठन और कामकाज के बारे में अनुपालना रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कराने हेतु लिखा गया था जो आदिनांक तक अप्राप्त है।

अतः स्मरण पत्र प्रेषित कर लेख है राजभवन के उक्त निर्देशों की अनुपालना में आदिनांक तक की गई पालना/कार्यवाही अविलम्ब विश्वविद्यालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि राजभवन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

(डॉ. गुजन सोनी)

आर.ए.एस.

कुलसचिव

दिनांक 31/12/25

क्रमांक : प () जरारासंविवि/शैक्ष.-राजभवन/25/ 4430-33
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, कुलपति महोदय, जरारासंविवि, जयपुर
2. निजी सहायक, कुलसचिव, जरारासंविवि, जयपुर
3. प्रभारी, वेबसाईट, जरारासंविवि, जयपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।
4. संबंधित फर्म को प्रति प्रेषित कर लेख है कि सम्बद्ध महाविद्यालयों को ईमेल करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

कुलसचिव

कुलसूची 9
28/11/25

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

प्रेषक :-

सचिव,
राज्यपाल राजस्थान,
जयपुर।

प्रेषित :-

कुलगुरुगण, (संलग्न सूची अनुसार)
राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

स्मरण पत्र- 01

क्रमांक: एफ.1(A)(19)आरबी/2020/6256

दिनांक 28/11/25 नवम्बर, 2025

संदर्भ :- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 6666 दिनांक 25.11.2024 एवं 178 दिनांक 10.01.2025

महोदय/महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली से माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को सम्बोधित अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 06/07/23/2023-24/NCW/NI Cell दिनांक 12.11.2024 की छायाप्रति संलग्न कर पालनार्थ/अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा आदिनांक तक की गई पालना/कार्यवाही अविलम्ब इस सचिवालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को अवगत कराया जा सकें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार कलाल)
उप सचिव
राज्यपाल सचिवालय

16923/14-sec
28/11/25

1670
28/11/25

संलग्नक
28/11/25

राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
3.	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर
4.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
5.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
6.	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
7.	जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर
8.	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
9.	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
10.	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
11.	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
12.	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
13.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
14.	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर
15.	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर
16.	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
17.	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर
18.	राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर
19.	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
20.	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
21.	बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर
22.	हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर
23.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
24.	एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर
25.	बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर
26.	महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर
27.	मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय, जोधपुर
28.	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर



Helpline No.:-(+91)-7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrsu@yahoo.com टेलीफोन : 0141-2850551-75

क्रमांक : प () जरारासंविधि/शैक्ष.-राजभवन/25/

दिनांक :

आवश्यक

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जरारासंविधि, जयपुर

विषय :- एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने बाबत।

सन्दर्भ :- उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक एफ. 1(ए)(19)आरबी/2020/178 दिनांक 10.01.2025 राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली से माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को सम्बोधित अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 06/07/23/2023-24/NCW/NI Cell दिनांक 12.11.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के क्रम में लेख है कि POSH जागरूकता (IC के कामकाज सहित) और साइबर सुरक्षा अपराधों (साइबर स्टॉकिंग, डिजिटल गिरफ्तारी, डीप फेक, सेक्सटॉर्शन आदि सहित) पर एक दिवसीय कार्यक्रम माह जनवरी-2025 में आयोजित करावें एवं POSH पर आन्तरिक समितियों के गठन और कामकाज के बारे में अनुपालना रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करावें ताकि राज्यपाल सचिवालय को रिपोर्ट प्रेषित की जा सकें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

84-
(नेन्द्र कुमार वर्मा)
आर.ए.एस.
कुलसचिव

क्रमांक : प () जरारासंविधि/शैक्ष.-राजभवन/25/5563-64
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रो. त है:-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, जरारासंविधि, जयपुर
2. प्रभारी, वेबसाईट, जरारासंविधि, जयपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अविलम्बअपलोड करावें।

कुलसचिव

दिनांक : 28/01/25



OSD (HE)



सत्यमेव जयते

Vijaya Rahatkar

Chairperson

Tel. : 011-26944808

भारत सरकार

राष्ट्रीय महिला आयोग

प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया

नई दिल्ली-110 025

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

PLOT NO. 21, JASOAL INSTITUTIONAL AREA,

NEW DELHI-110 025

Website : www.ncw.nic.in

E-mail : chairperson-ncw@nic.in

12th November, 2024

D.O. No. 06/07/23/2023-24/NCW/NI Cell

Hon'ble Governor Sir,

National Commission for Women (NCW) as per its mandate has been undertaking activities/awareness programs on various issues affecting women. In this background, I want to draw your kind attention towards two important issues concerning young population worldwide, i.e. awareness about relevant provisions of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and creating awareness about cyber crimes and cyber security.

NCW at pan India level has been organizing awareness programs on The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 in Govt as well as corporate sectors and also in educational institutions, with the aim to aware both employers and employees about their rights, responsibilities, and the necessary steps required to prevent and address incidents of sexual harassment in the workplace.

Also under its Digital Shakti program, awareness about cyber crimes like deep fake, online stalking/harassment etc is disseminated in colleges with the aim to educate and sensitize young generation especially girls.

Considering the importance of above mentioned issues, I request you consider organizing one Day programs on POSH awareness (including functioning of IC) and Cyber Security/ Crimes (including Cyber Stalking, Digital Arrest, Deep Fake, Sextortion, etc.) in all the Universities and affiliated colleges in the State of Rajasthan. I also urge you to direct all the Universities to share compliance report about constitution and functioning of Internal Committees on POSH in their respective Universities and affiliated colleges.

I am sure you will agree that by investing in these comprehensive and tailored training programs, their capacity to protect and promote women's rights effectively can be enhanced, ultimately leading to a more just and equitable society. While, the NCW will provide the Resource Persons and content related materials, the respective Universities/Colleges have to take care of other aspects.

I would appreciate, if you can kindly revert to us with a positive response at an early date.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Vijaya Rahatkar)

Shri Haribhan Kisanrao Bagde
Hon'ble Governor of Rajasthan,
Raj Bhawan,
Jaipur, Rajasthan - 302001.